पाँच रुपये FIVE RUPEES

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2025	वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सुनी गई वकील सायलान का कथन है विवादित आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति है, पूर्व पुरूष तेजसिंह से विरासतन प्राप्त हुई गैरसायल संख्या 1, 3/8 भाग का खातेदार काश्तकार है एवं सायलान गैरसायल संख्या 1 के पत्नी, पुत्र व पुत्रियां है। गैरसायल संख्या 1 विवादित आराजी में अपने सम्पूर्ण हिस्से को बेचना चाहता है। गैरसायल संख्या 1 मानसिक रूप से विकृत है। जो अन्य लोगों के बहकावे में आकर विवादित आराजीयात के अपने हिस्से को विकृय करना चाहता है। इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक गैरसायलान को पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। वकील सायलान की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान को अपूर्णीय क्षति ना हो एवं पक्षकारों के मध्य अनावश्यक वाद ना बढ़े इसलिए गैरसायलान को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायालय उचित समझती है। अतः आदेश है, कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.04.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	